FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम–मण्ड़ावर (दौसा)

उनवान सुसाराम बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा

किस्म मुकदमा –नाम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं...33 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु०नं० – 33/23 (विविध)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/06/23	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम पुन्दरपाडा में प्रार्थी सुसया राम पुत्र सुकल्याराम जाति मीना निवासी दुलावा तहसील बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजात में सुसयाराम पुत्र सुकल्याराम मीना है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सहवन से रामस्वरूप पुत्र सुकल्या दर्ज हो गया है जो कि गलत है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र सुलक्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुसयाराम पुत्र सुकल्याराम दर्ज कर दुरुस्त किये जाने के हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र ताईद में दस्तावेजात ग्राम पंचायत पुन्दरपाडा को प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र,आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक एवं वोटर आई.डी. कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश किये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् पटवारी हल्का पुन्दरपाडा, भू0अ0नि0 गोलाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। जिसके अनुसार ग्राम दुलावा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 48 पर रामस्वरूप पुत्र सुकल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना रहन यूकों बैक शाखा बडियाल कलॉ में दर्ज रिकॉर्ड है। रामस्वरूप पुत्र सुकल्या एवं सुसयाराम पुत्र सुकल्या मीना नाम के एक ही व्यक्ति है जिसको गांव में दोनो नाम से जाना जाता है और ग्राम दुलावा तहसील बैजूपाडा के खाता संख्या 48 पर रामस्वरूप पुत्र सुकल्या के स्थान पर सुसयाराम पुत्र सुकल्या दुरुस्त किये जाने की अभिषंशा की गई। पटवारी हल्का पून्दरपाडा, भू0अ0नि0 गोलाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं शिविर में उपस्थित आमजन से जानकारी ली गई। प्राथी का शुद्ध नाम सुसयाराम पुत्र सुकल्या होना पाया गया। उपरोक्त विवेचरन के आधार पर रामस्वरूप पुत्र सुकल्या अशुद्ध नाम के स्थान पर सुसयाराम पुत्र सुकल्या किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम दुलावा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 48 में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र सुलक्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुसयाराम पुत्र सुकल्याराम दर्ज किया जावे। शेष इन्द्रजात/ जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाड़ा नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे। यूकों बैक शाखा बडियाल कलॉ को सूचना प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर,, फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 कैम्प दिनांक 26/06/2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया। (भावना शर्मा, RAS) शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with CamScanner